

कृष्णा चौधरी वर्गों | लावनसिद्धि केस

इस हुक्म में शामिल न जारी हुए


31-7-25 पत्रकारन अधिकरण उपनिवेशीयतासीन अधिकारी
 उपनिवेशीयता वर्गों के कानून दर/वकील में भरतपुर
 पत्रों में: ककील कादी/प्रतिवादी ने
 पेश किया। शामिल पत्रावली निकर पूर्वांकन
 नं० 11-9-25 को पेश हो।

11-9-25 पत्रकारन अधिकरण उपनिवेशीयतासीन अधिकारी
 उपनिवेशीयता वर्गों के कानून दर/वकील में भरतपुर
 पत्रों में: ककील कादी/प्रतिवादी ने
 पेश किया। शामिल पत्रावली निकर पूर्वांकन
 नं० 26-11-25 को पेश हो।

26-11-25 पत्रावली आज दिनांक 26-11-25 को
 पेश हुई। वकील व वादीगण स्वयं
 उपस्थित अदालत आए। वकील व
 वादीगण ने प्रार्थना पत्र मूल दवा
 में राजीनामा न पेश किया है।
 चूंकि मूल दवा विद्वो/खारिज
 किया जा चुका है।

शुद्धा प्रौ०
 Rishi
 Janki
 (शान्तिपाल
 नं० 250/25)

अतः प्रार्थना पत्र 212 RTI
 भी इसी स्तर पर विद्वो/खारिज
 किया जाता है। पत्रावली मसल शुद्धा
 लेकर नया से कर ली


 जज (टीए) लखन